न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2019 (GCMS 2019/00119)	**04.02.2019**	**03.03.2021**

अनवान

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. कुनाल दोलतानी (सिंधी) पुत्र धर्मदास (विक्रेता फर्म)
   मो. नं. 9772900333)
   मैसर्स एस.एन. कान्ट्रेक्टर, 19 गाडीया लौहार कॉलोनी, चित्तौड़गढ़
   निवासी 37 आदर्श नगर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. संजय गुरनानी पुत्र श्रीचन्द गुरनानी (मालिक विक्रेता फर्म) (मो. नं. 9413315797)
   मैसर्स एस.एन. कान्ट्रेक्टर, 19 गाडीया लौहार कॉलोनी, चित्तौड़गढ़
   निवासी 56 शास्त्री नगर. चित्तौड़गढ (राज.)
3. राकेश भांगडिया पुत्र माणकचन्द्र भांगडिया
   (भागीदार निर्माता फर्म)
   मैसर्स भांगडिया बेवरेजेज (मो. नं. 9460208385)
   प्लॉट नं. 6. दाणी पुरोहितान खेडा गणेश रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.)
   निवासी 16 ए, लक्ष्मीनारायण विहार, आदित्य मिल अजमेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.)
4. आशीष भांगडिया पुत्र गोपाल भांगडिया
   (भागीदार निर्माता फर्म)
   मैसर्स भांगडिया बेवरेजेज (मो. नं. 9450208385)
   प्लॉट नं. 6. दाणी पुरोहितान खेडा गणेश रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.)
   निवासी मॉडल टाउन, पराशिया, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.)
5. अंकित भांगडिया पुत्र भागचन्द भांगडिया
   (भागीदार निर्माता फर्म)
   मैसर्स भांगडिया बेवरेजेज (मो. नं. 9450208385)
   प्लॉट नं. 6. दाणी पुरोहितान खेडा गणेश रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.)
   निवासी 45/19. डागाजी की गली. अजमेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.)

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::–

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.05.2018 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य संपादन कर रहे थे, और इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक **FH/PFA/Notification/2011/440 Dated 25-07-2011** के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक/एफएसएसए/2016/465 दिनांक 03.05.2016 के अनुसार इनका कार्य क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ आवंटित किया गया था और जिला चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र इनके कार्य क्षेत्र में आते हैं। गजट नोटिफिकेशन, अधिसूचना एवं आदेश की सत्यापित छाया प्रतियाँ न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.05.2018 को समय 05.20 पीएम. पर मैसर्स एस.एन कान्ट्रेक्टर, 19 गाडीया लौहार कॉलोनी, चित्तौड़गढ़ (राज.) पर पहुँचें। वहां पर कुनाल दोलतानी (सिंधी) पुत्र धर्मदास (विक्रेता फर्म) उक्त फर्म में विकेता फर्म की हैसियत से खाद्य पदार्थ एएम–941 पेकेजड ड्रिंकिंग वाटर (**Glamour**) व अन्य कोल्ड ड्रिंक्स आदि आम जनता को विक्रय कर रहे थे एवं विक्रय हेतु अपने कब्जे में रखे हुए थे। मौके पर विक्रेता द्वारा खाद्य लाईसेन्स मांगने पर प्रस्तुत किया गया एवं खाद्य लाईसेन्स प्रति प्रस्तुत की जो कि संलग्न है। विक्रेता ने बताया कि उक्त फर्म के मालिक संजय गुरनानी है। मौके पर गवाहान महेन्द्र सिंह एवं महेश भट्ट की उपस्थिति में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय पत्र विक्रेता को दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया तत्पश्चात् विक्रेता व गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त फर्म पर पेकेजड ड्रिंकिंग वाटर (**Glamour**) बेच नम्बर 8841 के कुल 700 सील्ड कार्टून विक्रय हेतु रखे पाये गये। उक्त में से 1 सील्ड बोतल पेकेजड ड्रिंकिंग वाटर (**Glamour**) ध्यान से देखने पर उस पर पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (**Glamour**), **Net Quantity 1 Ltr., Batch No. -8841, M.R.P. 20/- Mfg. Date 15-04-2018 Best for consumption with in 06 MONTHS FROM Date of Packing Processed & Pkd. By -BHANGADIYA BEVERAGES Plot No- 6, Dhani Purohitan, Khoda Ganesh Road, Madanganj Kishangarh Dist-Ajmer - 305801 (Raj)** आदि अंकित पाया गया। विक्रेता ने उक्त पैकेज्ड ड्रिकिंग वाटर (**Glamour**) का वेट ईनवाईस/खरीद बिल नम्बर 54 दिनांक 29.04.2018 मैसर्स भांगडिया बेवरेजेज द्वारा जारी प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्त पेकेज्ड ड्रिकिंग वाटर (**Glamour**) में मिलावट की शंका होने पर उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एफएनएसए एक्ट 2006 के तहत जॉच हेतु लेने के लिए विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात् नमूना वास्ते जॉच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर **V A** की प्रति गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली, जो की न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ के 1–1 लीटर की कुल 16 सील्ड बोतल वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को रूपये 272/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता तथा मौके पर उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ को चार बराबर–बराबर भागों में (प्रत्येक भाग में 4 सील्ड बोतल) बॉट कर अलग–अलग रखा। उक्त नमुना भागों हेतु 04 लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर लेबल चिपकाये लेबल पर खाद्य पदार्थ का नाम, स्थान व दिनांक आदि अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने, गवाहान व व्यापारी ने हस्ताक्षर किये थे। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागजों में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-941** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। एक सील नमूना भाग के सीरे पर एक पेंदे पर एवं दाई और एवं एक बाई और लगाई। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं सीलबन्द नमुनों पर गवाहान के हस्ताक्षर कराकर नमुने का पुर्ण विवरण लिखकर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। विक्रेता को उक्त नमुने के एक भाग (चौथा भाग) को एक्रीएटेड लैब में जांच कराने की जानकारी मौके पर ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दे दी गई थी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं मौके पर उपस्थित गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना सील चपड़ी किया गया, उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका पंचनामा पर अंकित किया गया। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में पत्रवाहक के साथ खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जमा करवाने हेतु भिजवाया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में जमा की खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से अलग अलग रसीद प्राप्त की गई जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। मैसर्स एस.एन कान्ट्रेक्टर, 19 गाडीया लौहार कॉलोनी, चित्तौड़गढ़ एवं मैसर्स भांगडिया ब्रेवरेजेज मंदनगंज किशनगढ़ को उनके ज्ञात सही नाम पते पर रजिस्टर्ड डाक से जांच रिपोर्ट की एक प्रति नियमानुसार सीएमएचओं चित्तौड़गढ के द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसकी मूल प्रति संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/2959 दिनांक 04.07.2018 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना वास्ते जाँच क्रय किया गया था जो कि मिसब्रान्डेड होना पाया गया था। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के समस्त दस्तावेज पत्रांक 2959 दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को जमा कराये गये जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2019/381 दिनांक 24.01.2019 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल कराने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगणों ने पेकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर (**Glamour**) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियग 2005 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रार्थना की गई कि उपरोक्त आवेदन न्याय निर्णयन श्रीमान को प्रस्तुत कर दिया गया है जिसे स्वीकार निवेदन है कि उक्त अभियुक्तगणों पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

इस पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस के तलब किया गया। इस पर दिनांक 18.07.2019 को अप्रार्थीगण की और से उनके अधिवक्ता बीएल पोखरना हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया एवं जवाब परिवाद पेश किया जो शामिल पत्रावली है। अपने जवाब परिवाद में अप्रार्थीगण ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मामला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधि अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जन विश्लेषक एवं जांच प्रयोगशाला जिसने कथित खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच की वह विधि अनुरूप अधिसूचित एवं अधिकृत नहीं है, अतः मामले का एक मात्र आधार जन विश्लेषक की जांच रिपोर्ट साक्ष्य में पठनीय नहीं है। इसी मात्र बिन्दु पर मामला निरस्तनीय है। विधि अनुसार अधिनियम की धारा 46(4) के अनुसार जांच रिपोर्ट विपक्षीगण को प्राप्त नहीं हुई इस कारण जांच रिपोर्ट को रेफरल खाद्य लेबोरेट्री से जांच कराने के महत्वपूर्ण अधिकार से विपक्षीगण वंचित हुए हैं, इस कारण मामला निरस्तनीय है। कथित खाद्य पदार्थ पानी का नमूना विधि अनुसार नहीं लिया गया न विधि अनुसार जांच हुई इस कारण मामला निरस्तनीय है। जन विश्लेषक जिसने जांच खाद्य पदार्थ के सेम्पल की जांच की उसे साक्ष्य में बुलाकर उनसे जिरह करना चाहते है अतः जांच रिपोर्ट प्रदाता जन विश्लेषक को साक्ष्य में जिरह हेतु सम्मन किये जाने अर्थात् बुलाने की प्रार्थना स्वीकार फरमावें। जन विश्लेषक की रिपोर्ट में कथित नमूने को मिसब्राण्ड होना माना गया है लेकिन जांच रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि नमूना क्यों मिसब्राण्ड है। इस कारण जांच रिपोर्ट पर संस्थित मामला निरस्तनीय है। अतः मामला समाप्त फरमावें। जवाब परिवाद शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है।

दिनांक 03.03.2021 को विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस जवाब परिवाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि जन विश्लेषक एवं जांच प्रयोगशाला जिसने कथित खाद्य पदार्थ के नमूने की जांच की वह विधि अनुरूप अधिसूचित एवं अधिकृत नहीं है, अतः मामले का एक मात्र आधार जन विश्लेषक की जांच रिपोर्ट साक्ष्य में पठनीय नहीं है। विधि अनुसार अधिनियम की धारा 46(4) के अनुसार जांच रिपोर्ट विपक्षीगण को प्राप्त नहीं हुई इस कारण जांच रिपोर्ट को रेफरल खाद्य लेबोरेट्री से जांच कराने के महत्वपूर्ण अधिकार से विपक्षीगण वंचित हुए है, इस कारण मामला निरस्तनीय है। कथित खाद्य पदार्थ पानी का नमूना विधि अनुसार नहीं लिया गया न विधि अनुसार जांच हुई इस कारण मामला निरस्तनीय है। जन विश्लेषक की रिपोर्ट में कथित नमूने को मिसब्राण्ड होना माना गया है लेकिन जांच रिपोर्ट में यह अंकित नहीं है कि नमूना क्यों मिसब्राण्ड है। अतः प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त किये जाने आदेश प्रदान कराया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षीगण ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली को बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फार्म नंबर 5 ए की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ पेकेज्ड

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ड्रिकिंग वाटर (**Glamour**) का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर विपक्षी संख्या 1 एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्ठि नमूना खरीद बिल से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 29.05.2018 का अवलोकन किया। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 29.05.2018 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ पेकेज्ड ड्रिकिंग वाटर (**Glamour**) जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-941** नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 62 से सील चपडी किया। इस से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2018/5137 दिनांक 30.05.2018 से पत्रवाहक रवि कुमार (सहायक कर्मचारी) के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक **AM-941** मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद को अवलोकन किया जिससे से जाहिर होता है कि पत्रवाहक रवि कुमार (सहायक कर्मचारी) द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 30.05.2018 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद का अवलोकन किया जिस से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी संख्या 1 से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गयें। विपक्षी संख्या 1 द्वारा खाद्य पदार्थ पेकेज्ड ड्रिकिंग वाटर (**Glamour**) का खरीद बिल **Tax Invoice** 54 दिनांक 29.04.2018 जो कि मैसर्स भांगडिया बेवरेजज, द्वारा विक्रेता फर्म एस.एन. कान्ट्रेक्टर को जारी किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ विक्रेता फर्म द्वारा निर्माता फर्म से क्रय किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2018/2536 दिनांक 05.06.2018 से निर्माता फर्म **BHANGADIYA BEVERAGES Plot No- 6, Dhani Purohitan, Khoda Ganesh Road, Madanganj Kishangarh Dist- Ajmer – 305801** को विक्रेता फर्म को जारी बिल एवं फार्म 5 ए की प्रति प्रेषित की गई, उक्त पत्र रिकार्ड पर हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2018/2959 दिनांक 04.07.2018 से विक्रेता फर्म एवं निर्माता फर्म को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या **LS 135/Act/2018/151 Dated 27-06-2018** की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट **LS 135/Act/2018/151 Dated 27-06-2018** का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर रिपोर्ट एवं मतानुसार अनुसार :–

Report No LS 135/Act/2018/151 Dated 27-06-2018

Certified that I PANKAJ KUMAR duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Devendra Singh Ranawat, Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Packaged drinking water (Glamour) bearing code no. and serial no. AM- 941 of Designated officer of District Chittorgarh on 30.05.2018 for analysis.
The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Seal No. 62 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum, in sealed envelope.
I found the sample to be Packaged drinking water (Other than mineral water) falling under Regulation No. 2.10.8 of Food Safety and Standards (food products standards and food additives Regulations 2011.The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed 05.06.2018 101 27.06.2018 and the result of its analysis is given below-
ANALYSIS REPORT---
(i) Sample description:- The sample contain in a original company pack narrow mouth pet bottle or 4x1Litr. PRINTED ON LABEL BEST FOR CONSUPTION WITH IN SIX MONTH FROM DATE PACKAGING Violation of regulation no. 2.2.2(10) of Food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulations 2011.
(ii) Physical appearance:- The sample is clear, free from suspended matter, almost odorless.
(iii) Label:- Brand- Glamour, Name of food- Packaged Drinking Water, Proc. & Pkd by- Bhangadiva Bheverages, Plot No. 6, Dhani Purohitan, Khoda Ganesh Road, Madanganj, Kishangarh, Dist. Ajmer- 305801 (Raj), Batch No.-8841, Mfg. Date- 15.04.18, Best before Six months- Present, Fssai Lic. So 12216009000347, CM/L-8400087615.

Opinion:- The sample of Packaged drinking water (Glamour) Bearing code no. and serial no. AM 941 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh is misbranded ford. The sample is misbranded under section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेन्द्र सिंह राणावत द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 62 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक का प्राप्त हुआ। उक्त नमूना दिनांक 05.06.2018 से 27.06.2018 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि **Packaged drinking water (Other than mineral water) falling under Regulation No. 2.10.8 of Food Safety and Standards (food products standards and food additives Regulations 2011.** हैं, एवं उक्त नमूना जिस पर पर मुख्य चिकित्सा एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या **AM-941** पेकेज्ड ड्रिकिंग वाटर (**Glamour**) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा **3(1)(zf(C)(i)** के तहत मिस ब्राण्ड स्तर का पाया गया है। जिसकी पुष्टि स्वरूप खाद्य विश्लेषक द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई है जो कि रिकार्ड पर है। हमने अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चितौडगढ के रजिस्टर्ड पत्रांक/एफएसएसए/2018/2959 दिनांक 04.07.2018 का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2019/11 दिनांक 02. 01.2019 से विपक्षी से खाद्य पदार्थ के क्रय बिल एवं वाणिज्यिक विभाग रजिस्ट्रेशन इत्यादि के संबंध में सूचना चाही गई। उक्त पत्र का विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2019/381 दिनांक 24.01.2019 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(**e**) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है। उक्त समस्त दस्तावेज शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। जहां तक विपक्षी द्वारा अपने जवाब परिवाद में उठाये गये तथ्यों का संबंध में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद के समस्त तथ्यों ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कराया गया हैं, एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थो के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्त्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्त्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है। उक्त खाद्य पदार्थ का विपक्षी के पास बिल का नहीं होना जाहिर होता है। निर्माता को निर्माण/पैकिंग के समय ही लेबल पर नियमानुसार सभी आवश्यक पूर्तियां करनी चाहिये थी, किन्तु अप्रार्थी का भी यह दायित्व बनता है कि वह आयातित खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु प्रदर्शित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उक्त खाद्य पदार्थ पर नियमानुसार पूर्ति है। सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का अवलोकन किया अधिनियम की धारा 25 से 27 में निम्न प्रावधान प्रावधित किये गये है :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25. All imports of articles of food to be subject to this Act.

(1) No person shall import into India –

- (i) any unsafe or misbranded or sub-standard food or food containing extraneous matter;
- (ii) any article of food for the import of which a licence is required under any Act or rules or regulations, except in accordance with the conditions of the licence; and
- (iii) any article of food in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder or any other Act.

(2) The Central Government shall, while prohibiting, restricting or otherwise regulating import of article of food under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), follow the standards laid down by the Food Authority under the provisions of this Act and the Rules and regulations made thereunder.

26. Responsibilities of the Food business operator.

(1) Every food business operator shall ensure that the articles of food satisfy the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder at all stages of production, processing, import, distribution and sale within the businesses under his control.

(2) No food business operator shall himself or by any person on his behalf manufacture, store, sell or distribute any article of food –

- (i) which is unsafe; or
- (ii) which is misbranded or sub-standard or contains extraneous matter; or
- (iii) for which a licence is required, except in accordance with the conditions of the licence; or
- (iv) which is for the time being prohibited by the Food Authority or the Central Government or the State Government in the interest of public health; or
- (v) in contravention of any other provision of this Act or of any rule or regulation made thereunder.

(3) No food business operator shall employ any person who is suffering from infectious, contagious or loathsome disease.

(4) No food business operator shall sell or offer for sale any article of food to any vendor unless he also gives a guarantee in writing in the form specified by regulations about the nature and quality of such article to the vendor: Provided that a bill, cash memo, or invoice in respect of the sale of any article of food given by a food business operator to the vendor shall be deemed to be a guarantee under this section, even if a guarantee in the specified form is not included in the bill, cash memo or invoice.

(5) Where any food which is unsafe is part of a batch, lot or consignment of food of the same class or description, it shall be presumed that all the food in that batch, lot or consignment is also unsafe, unless following a detailed assessment within a specified time, it is found that there is no evidence that the rest of the batch, lot or consignment is unsafe: Provided that any conformity of a food with specific provisions applicable to that food shall be without prejudice to the competent authorities taking appropriate measures to impose restrictions on that food being placed on the market or to require its withdrawal from the market for the reasons to be recorded in writing where such authorities suspect that, despite the conformity, the food is unsafe.

27. Liability of the manufacturers, packers, wholesalers, distributors and sellers

- (1) The manufacturer or packer of an article of food shall be liable for such article of food if it does not meet the requirements of this Act and the rules and regulations made thereunder.

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(2) The wholesaler or distributor shall be liable under this Act for any article of food which is–

(a) Supplied after the date of its expiry; or

(b) Stored or supplied in violation of the safety instructions of the manufacturer; or

(c) Unsafe or misbranded; or

(d) Unidentifiable of manufacturer from whom the article of food have been received; or

(e) Stored or handled or kept in violation of the provisions of this Act, the rules and regulations made thereunder; or

(f) received by him with knowledge of being unsafe.

(2) The seller shall be liable under this Act for any article of food which is –

(a) sold after the date of its expiry; or

(b) handled or kept in unhygienic conditions; or

(c) misbranded; or

(d) unidentifiable of the manufacturer or the distributors from whom such articles of food were received; or

(e) received by him with knowledge of being unsafe.

अधिनियम के अनुसार खाघ पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित हैं, किन्तु इनके द्वारा इसकी जांच नही कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत् अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नही किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** का उल्लघंन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1 जो कि उक्त खाद्य पदार्थ पेकेज्ड ड्रिकिंग वाटर (**Glamour**) के विक्रेता है, विपक्षी संख्या जो कि खाद्य पदार्थ की विक्रेता फर्म के मालिक मालिक होने से विपक्षी संख्या 3, 4, 5 उक्त खाद्य पदार्थ पेकेज्ड ड्रिकिंग वाटर (**Glamour**) की निर्माता फर्म के भागीदार होने से विपक्षी संख्या 1 श्री कुनाल दोलतानी (सिंधी) पुत्र धर्मदास (विक्रेता फर्म) मो. नं. 9772900333) निवासी 37 आदर्श नगर, चित्तौड़गढ़ (राज.), विपक्षी संख्या 2 श्री संजय गुरनानी पुत्र श्रीचन्द गुरनानी (मालिक विक्रेता फर्म) (मो. नं. 9413315797) मैसर्स एस.एन. कान्ट्रेक्टर, 19 गाडीया लौहार कॉलोनी, चित्तौड़गढ़ निवासी 56 शास्त्री नगर. चित्तौड़गढ (राज.) विपक्षी संख्या 3 श्री राकेश भांगडिया पुत्र माणकचन्द्र भांगडिया (भागीदार निर्माता फर्म) मैसर्स भांगडिया बेवरेजेज (मो. नं. 9460208385) प्लॉट नं. 6. दाणी पुरोहितान खेडा गणेश रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) निवासी 16 ए, लक्ष्मीनारायण विहार, आदित्य मिल अजमेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) विपक्षी संख्या 4 श्री आशीष भांगडिया पुत्र गोपाल भांगडिया (भागीदार निर्माता फर्म) मैसर्स भांगडिया बेवरेजेज (मो. नं. 9450208385) प्लॉट नं. 6. दाणी पुरोहितान खेडा गणेश रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) निवासी मॉडल टाउन, पराशिया, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं विपक्षी संख्या 5 श्री अंकित भांगडिया पुत्र भागचन्द भांगडिया (भागीदार निर्माता फर्म) मैसर्स भांगडिया बेवरेजेज (मो. नं. 9450208385) प्लॉट नं. 6. दाणी पुरोहितान खेडा गणेश रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) निवासी 45/19. डागाजी की गली. अजमेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अधिनियम की धारा 52 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तथ्यों का मनन किया। अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्त को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्राविधित किये गये है। अधिनियम की धारा 49 एवं 52 के अनुसार–

49. General provisions relating to penalty.

While adjudging the quantum of penalty under this Chapter, the Adjudicating Officer or the Tribunal, as the case may be, shall have due regard to the following:-

(a) The amount of gain or unfair advantage, wherever quantifiable, made as a result of the contravention,

(b) The Amount of loss caused or likely to cause to any person as a result of the contravention,

(c) The repetitive nature of the contravention,

(d) Whether the contravention is without his knowledge, and

(e) Any other relevant factor,

52. Penalty for misbranded food.

(1) Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakh rupees.

(2) The Adjudicating Officer may issue a direction to the person found guilty of an offence under this section, for taking corrective action to rectify the mistake or such article of food shall be destroyed.

विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 तक की दोष सिद्धि घोषित की गई हैं, जिससे अर्थदण्ड विपक्षी संख्या 1 से लगायत 5 तक को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय एवं निर्माण करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा **(2) (ii)** में अभियुक्त की दोषसिद्धि घोषित किये जाने से अभियुक्त संख्या 1 श्री कुनाल दोलतानी (सिंधी) पुत्र धर्मदास (विक्रेता फर्म) मो. नं. 9772900333) निवासी 37 आदर्श नगर, चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राज.) को रूपये 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये, विपक्षी संख्या 2 श्री संजय गुरनानी पुत्र श्रीचन्द गुरनानी (मालिक विक्रेता फर्म) (मो. नं. 9413315797) मैसर्स एस.एन. कान्ट्रेक्टर, 19 गाडीया लौहार कॉलोनी, चित्तौड़गढ़ निवासी 56 शास्त्री नगर. चित्तौड़गढ (राज.) को रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, विपक्षी संख्या 3 श्री राकेश भांगडिया पुत्र माणकचन्द्र भांगडिया (भागीदार निर्माता फर्म) मैसर्स भांगडिया बेवरेजेज (मो. नं. 9460208385) प्लॉट नं. 6. दाणी पुरोहितान खेडा गणेश रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) निवासी 16 ए, लक्ष्मीनारायण विहार, आदित्य मिल अजमेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) को रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये, विपक्षी संख्या 4 श्री आशीष भांगडिया पुत्र गोपाल भांगडिया (भागीदार निर्माता फर्म) मैसर्स भांगडिया बेवरेजेज (मो. नं. 9450208385) प्लॉट नं. 6. दाणी पुरोहितान खेडा गणेश रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) निवासी मॉडल टाउन, पराशिया, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) को रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये एवं विपक्षी संख्या 5 श्री अंकित भांगडिया पुत्र भागचन्द भांगडिया (भागीदार निर्माता फर्म) मैसर्स भांगडिया बेवरेजेज (मो. नं. 9450208385) प्लॉट नं. 6. दाणी पुरोहितान खेडा गणेश रोड, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) निवासी 45/19. डागाजी की गली. अजमेर रोड़, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर 305801 (राज.) को रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये के अर्थात कुल रूपये 45,000/– अक्षरें पैतालीस हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता हैं।

अभियुक्त उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत् शास्ति राशि भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **03.03.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.03.12 18:55:33 IST
Reason: SelfAttested